उच्च शिक्षा का निजीकरण

– डॉ. मधु गढ़वाल,
प्राचार्या, संभल कॉलेज ऑव एज्यूकेषन,
षिवसिंहपुरा, जिला–सीकर (राजस्थान)

प्रस्तावना –

भारत में वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के तीन स्तर हैं– प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। इनमें से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा स्कूल स्तर पर प्रदान की जाती है, जबकि उच्च शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर दी जाती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले पाँच दशकों में देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वतंत्रता पूर्व देश में मात्र तीन विश्वविद्यालय थे, वहीं अब उनकी संख्या 250 के आसपास पहुंच चुकी है।

शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था दो प्रकार से की जा सकती है – सरकारी और निजी। निजी विद्यालय सरकार के वित्त पोषण से चलाए जा सकते हैं (जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय कहा जाता है) और पूर्ण –प से स्ववित्त पोषित भी हो सकते हैं (जिन्हें गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय कहा जाता है)। सरकारी स्कूलों की स्थापना और प्रबंधन सरकार करती है। जब सरकार के पास शिक्षा की सार्वभौमिक सुविधा प्रदान करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं तो निजी क्षेत्र की मदद ली जाती है। अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से काम करता है। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, तो निजी क्षेत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर लाभकारी उद्देश्य से कार्य करेगा। हमारा शिक्षा पर व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद (ळतवे क्वउमेजपब च्तवकनबज) का मात्र 2.8 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों में सामान्यत– स्वीकृत मानदंड 6 प्रतिशत या उससे भी अधिक है। इसके फलस्वरुप शिक्षा यहां बड़े प्रचार से वंचित रही है और इसका उत्तर है–शिक्षा का निजीकरण।

संविधान में षिक्षा का निजीकरण –

संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत जिन विषयों को शामिल किया गया है, उनमें से एक शिक्षा भी है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा से संबंधित कानूनों को केंद्र और राज्य, दोनों द्वारा बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करने का सरकारी आदेष का अधिकार केंद्र को दिया गया है। साथ ही, विश्वविद्यालयों को स्थापित करने, उनका विनियमन करने और उन्हें बंद करने की शक्ति राज्यों के पास है जोकि राज्य सूची का विषय है। उच्च शिक्षा के निमित समर्पित इन संस्थानों में 18 भाषाओं में विज्ञान, कला, वाणिज्य, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन सहित शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनेक व्यावसायिक महत्व के पाठ्यक्रमों की शिक्षा की व्यवस्था है। इन संस्थानों में प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं, फिर भी कई युवक–युवतियाँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अत– अभी भी काफी संख्या में नए संस्थानों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्रशासनिक संरचना –

केंद्र में षिक्षा मंत्रालय देश में शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाता है और कानूनों एवं योजनाओं को लागू करता है। मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा विभाग उपरोक्त कार्य करते हैं। स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों का विनियमन उनसे संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है।

विनियामक निकाय –

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) उच्च शिक्षा के मुख्य विनियामक हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विनियमित करने के लिए 15 व्यावसायिक परिषदें हैं। संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों में भारतीय मेडिकल परिषद, भारतीय बार परिषद, वास्तुकला परिषद इत्यादि शामिल हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रकार –

विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम के माध्यम से घोषित यूजीसी के सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त दर्जा। विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष के आधार पर यूजीसी यह सुझाव देता है। तकनीकी संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित करने के मामले में एआईसीटीई यूजीसी को सलाह देती है।

प्रकृति और दायरा विश्वविद्यालयों को डिग्री देने या कॉलेजों को संबद्ध करने का अधिकार होता है। निजी विश्वविद्यालय कॉलेजों को संबद्ध नहीं कर सकते। संविधान में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जा सकता है। प्रत्येक संस्थान का अभिशासन संबंधित अधिनियम द्वारा किया जाता है।ऐसे संस्थान डिग्री देने का अधिकार रखते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय डिग्री देने का अधिकार रखते हैं।

शिक्षा के निजीकरण के गुण और दोष दोनों है। यदि यह नियंत्रित नहीं है तो इसके दोष सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति को पंगु बना सकते हैं। निजीकरण में दो पहलुओं से समस्याएं सामने आई हैं। एक तो आर्थिक रूप से कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का शोषण एवं दूसरा विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गुणवत्ता।

फीस का ढांचा

निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे विद्यार्थियों से कैपिटेशन फीस (अध्ययन के दौरान फीस के अतिरिक्त कोई अन्य राशि) वसूलते हैं। इससे उनकी शिक्षा वहन योग्य नहीं होती। निजी संस्थानों में फीस के ढांचे के कारण भी सभी लोगों की पहुंच उच्च शिक्षा तक नहीं हो पाती।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुचित तरीकों पर प्रतिबंध विधेयक, 2010 (जोकि 15 वीं लोकसभा के भंग होने के साथ रद्द हो गया) की समीक्षा करते हुए मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने कहा था कि अनेक निजी संस्थान बहुत अधिक फीस वसूलते हैं। किसी स्पष्ट नियम के अभाव में ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा फीस के रूप में मोटी रकम वसूली जाती रहेगी। वर्तमान में यूजीसी कुछ हद तक डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की फीस का विनियमन करता है। समिति का कहना था कि वसूली गई फीस पाठ्यक्रम को संचालित करने की लागत से जुड़ी होनी चाहिए और संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं किया जा रहा।

वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा वसूली जाने वाली फीस को विनियमित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कैपिटेशन फीस पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने संस्थानों को ऐसी फीस वसूलने को अनुमति दी जोकि उपयुक्त कही जा सके। आर्थिक लाभ के लिए कार्य को रोकने और कैपिटेशन फीस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्ष 2003 में न्यायालय ने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस के ढांचे को एक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने इन समितियों का गठन किया। लेकिन ऐसे मामले भी सामने आए जब कुछ समितियों ने फीस के ढांचे को निर्धारित करने के दौरान संस्थान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि यह देखा कि षिक्षार्थी कितनी फीस वहन कर सकते हैं।

निजी संस्थान दावा करते हैं कि निम्नलिखित कारणों से फीस के ढांचे में संशोधन किया जाता है –

(अ) प्रभारों में एकाएक होने वाली वृद्धि या संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त फीस की उगाही,
(ब) कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन और बाजार में आने वाले उतार–चढ़ावों के कारण संस्थानों के रखरखाव, प्रशासनिक व्यय (लैब के उपकरणों का रखरखाव, नए सॉफ्टवेयर को खरीदना इत्यादि) में होने वाली वृद्धि,
(स) विश्वविद्यालय द्वारा मूल्य संवर्धित पाठ्यक्रमों या सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त फीस प्रभार, तथा
(द) अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां।

गुणवत्ता

उच्च शिक्षण संस्थानों में एक्रेडेशन को अनिवार्य करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नेशनल एक्रेडेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (नारा) विधेयक, 2010 को मई, 2010 में संसद में पेश किया गया। यह एक्रेडेशन संस्थाओं के पंजीकरण और निरीक्षण के लिए नेशनल एक्रेडेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की

स्थापना करता है। विधेयक के अनुसार केवल सरकारी संस्थाएं उच्च शिक्षण संस्थानों को एक्रेडेट कर सकती हैं। 15 वीं लोकसभा के भंग होने के साथ यह विधेयक रद्द हो गया।

ऐसी समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करना आसान हो और वे जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें चुनें। इससे संस्थान भी अपनी ताकत, कमजोरियों और अपनी योजना के भीतरी पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार का विश्लेषण अनुदान संस्थाओं को आंकड़े प्रदान करने में सहायक हो सकता है और स्नातक विद्यार्थियों की रोजगारपरकता बढ़ सकती है।

इन्फोसिस के संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ति की अध्यक्षता में योजना आयोग ने शिक्षा में विदेशी निवेश लाने की संभावना और उपाय तलाशने के लिए पैनल बनाया था। इस पैनल से उम्मीद यही की जा रही थी कि वह उच्च, तकनीकी शिक्षा की जमीनी हकीकत को देखते हुए सिफारिशें करेगा लेकिन इस पैनल ने सिर्फ निवेश आमंत्रित करने वाले उपायों पर ही अपना फोकस रखा है। अगर इस पैनल के मुताबिक किसी संस्थान को 999 साल के लिए पट्टा दे ही दिया जाए, उसे टैक्स छूट दी जाए तो क्या गारंटी है कि वह गुणवत्ता आधारित शिक्षा ही देगा? माना जा रहा है कि ऐसी कोशिशों से दुनिया के नामी विश्वविद्यालय भारत आएँगे और गुणवत्ता आधारित शिक्षा मुहैया कराएँगे पर रसायन विज्ञान के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकटेश रामाकृष्णन का कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका के जिन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने सिंगापुर या दूसरी जगहों पर अपना कैंपस खोला है, उनमें वैसी गुणवत्ता आधारित शिक्षा नहीं मिलती, जैसी वे अपने मूल कैंपस में मुहैया कराते हैं। बेहतर होता कि कॉर्पोरेट निवेश को आमंत्रित करने के अंधानुकरण की बजाय गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता।

सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर किए जा रहे व्यय की ओर देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार का अधिक ध्यान देश की जनसंख्या को शिक्षित करने अथवा प्राथमिक शिक्षा पर ही अधिक केन्द्रित है। उच्च शिक्षा के लिए उच्च संसाधनों की कमी हमेशा से बनी रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से उच्च शिक्षा पर भारी कटौती की जा रही है। चौथी योजना के दौरान उच्च शिक्षा पर कुल शिक्षा व्यय का 25ः भाग खर्च किया गया, वहीं अब नौवीं योजना में मात्र 12ः रह गया।

फिर भी, शिक्षा के परिदृश्य से निजी क्षेत्रों को बाहर रखना संभव नही है क्योंकि सरकारी निधि शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के आदर्श को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। देश के बहुत–से क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अधारभूत सुविधाएँ तक नही हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र की शिक्षा में संलग्नता आवश्यकता बन गई है।

जबकि, एक तरफ, शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा व्यवस्था में कुछ अनुकूल परिवर्तन आया है, वहीं दूसरी तरफ, इसने गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया है जिनका यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो ये देश की नींव को हिला सकती है।

शैक्षिक संस्थानों के प्रशासकों के लिए समय आ गया है कि शिक्षा की पवित्रता और महत्ता को महसूस करें और इसका व्यवसायीकरण न करें। यह सरकार की जवाबदेही है कि उचित कानून बनाकर शिक्षा के निजीकरण से उत्पन्न समस्याओं को रोके ताकि देश की नींव को सुरक्षित रखा जा सके। इसी से उच्च षिक्षा व देष की षिक्षा व्यवस्था का ढांचा मजबूत हो सकेगा।

संदर्भ सूची –

- ऐसंउपब ।बंकमउल वि्फ्कनबंजपवद अेण् जंजम वि्ज्ञंतदंजां – व्तेणए तपज च्मजपजपवद ;ब्पअपसद्ध 350 वि1993ण
- ज्ड। च्ंप थ्वनदकंजपवद अेण् जंजम वि्ज्ञंतदंजां –व्तेणए तपजम च्मजपजपवद ;ब्पअपसद्ध 317 वि 1993ण
- ब्वदबनततमदज स्पेजए ब्वदेजपजनजपवद वि्प्दकपंण
- न्दपवद स्पेजए ब्वदेजपजनजपवद वि्प्दकपंण
- ैजंजम स्पेजए ब्वदेजपजनजपवद वि्प्दकपंण
- न्देजंततमक फनमेजपवद छवण 1628ए स्वा ैईंए क्मबमउइमत 3ए 2014ण
- त्रेंजींद च्तपअंजम न्दपअमतेपजपमे ।बजए 2005ए डंल 8ए 2005ए
- श ।सस प्दकपं ैनतअमल वद भ्पहीमत म्कनबंजपवद 2012.13 ;च्तवअपेपवदंसद्धश्ए डपदपेजतल वि भ्नउंद त्मेवनतबम क्मअमसवचउमदजए 2015ए
- श्भ्पहीमत म्कनबंजपवद पद प्दकपंरू प्ेेनमेए ब्वदबमतदे ंदक छमू क्पतमबजपवदेश्ए न्दपअमतेपजल ळतंदजे ब्वउउपेपवदए क्मबमउइमत 2003ए
- ीजजचरूध्ध्ूीतकण्हवअण्पदध्ेपजमेध्नचसवंकऋपिसमेध्ूीतकध्पिसमेध्कवबनउमदज.तमचवतजेध्ल्ब्.त्मचवतजण्चकप
- ीजजचरूध्ध्ूनहबण्बण्पदध्वसकचकध्ेिनइधीमधीमपदकपंण्चकप

- ाजजचरूध्ध्ूण्नहबण्ंबण्पदध्नहबचकध्ि740315ऋ12थ्ल्च्ण्चकफ्ि
- ाजजचरूध्ध्ऊीतकण्हवअण्पदध्ेपजमेध्नचसवंकत्रऋपिसमेध्ऊीतकध्पिसमेध्ेजंजपेजपबेध्।ैभ्म्13.14च्ण्चकफ्ि
- ाजजचरूध्ध्ूण्ंपबजम.पदकपण्ंवतहध्कवूदसवंकेध्दाबण्चकफ्ि
- ाजजचरूध्ध्ूण्वमबकण्वतहध्मकनबंजपवदध्ेपससे.इमलवदक.ेबीववसध्45926093ण्चकफ्ि
- ाजजचरूध्ध्ूण्नहबण्ंबण्पदध्वसकचकध्तिमहनसंजपवदेध्ंमममजमदहसपेीण्चकयि
- ाजजचरूध्ध्ऊीतकण्हवअण्पदध्ेपजमेध्नचसवंकत्रऋपिसमेध्ऊीतकध्पिसमेध्ेजंजपेजपबेध्।ैभ्म्2012.13थ्ण्चकफ्ि
- ाजजचरूध्ध्ूण्सेंूवपिदकपण्ंवतहध्चकध्तिंरेंजींदध्2005ध्2005त्रेंजींद10ण्चकफ्ि